



No.1/9/2017-Coord.  
Government of India  
National Commission for Scheduled Tribes  
\*\*\*\*\*

6<sup>th</sup> Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,  
Khan Market, New Delhi -110003  
Dated: 11<sup>th</sup> January, 2018

To,

1. Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson
2. Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson
3. Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member
4. Shri Harshadbhai Chunilal Vasava, Hon'ble Member
5. Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member

**Subject: Summary Record of discussions of 100<sup>th</sup> Meeting (an emergent meeting) of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) held on 1.1.2018 at 11:00 Hrs.**

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that 100<sup>th</sup> meeting (an emergent meeting) of the National Commission for Scheduled Tribes was held on 1.1.2018 at 11:00 Hrs. in the Conference Room of NCST at Lok Nayak Bhawan, New Delhi. The Meeting was presided over by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes. A copy of the Summary Record of discussions of meeting is enclosed for information and record.

Yours faithfully,

*D.S. Kumbhare*  
(D.S Kumbhare)  
11.1.2018  
Under Secretary

Copy of the Summary Record of discussions of 100<sup>th</sup> meeting of NCST is forwarded to the following Officers with request that information about action taken on the decision taken in the meeting concerning each Unit/Office may be furnished to Coordination Cell by 30.1.2018 positively:

- (i) Deputy Secretary (RU-I & II)
- (ii) Under Secretary (Coordination, Estt. & RU-IV)
- (iii) Assistant Director (RU-II)
- (iv) Assistant Director (RU-I & OL)
- (v) Assistant Director (RU-III & Admin)

Copy of Summary Record of discussion of 100<sup>th</sup> meeting is enclosed for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. PA to Hon'ble Member (Shri HKD), NCST
4. PS to Hon'ble Member (Shri HCV), NCST
5. PS to Hon'ble Member (Smt. MCI), NCST
6. Sr.PPS to Secretary, NCST
7. PA to Joint Secretary, NCST
8. Director/Assistant Director/Research Officer in Regional Office of NCST at Bhopal/Bhubaneshwar/Jaipur/ Raipur/ Ranchi/Shillong
9. ✓ NIC, NCST for uploading on the website.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 100वीं बैठक (आपात बैठक) में हुई चर्चा का कार्यवृत्त।

(फाईल सं. 1/9/2017-समन्वय)

दिनांक : 1.1.2018

समय : 11.00 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छटा तल, लोकनायक भवन,  
नई दिल्ली-110003

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

प्रतिभागियों की सूची :

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
3. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य
4. श्री राघव चंद्रा, सचिव
5. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
6. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
6. श्री डी.एस. कुंभारे, अवर सचिव
7. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
8. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक

बैठक के लिए निर्धारित कार्य सूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

कार्यसूची मद सं0 1	संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट
Agenda Item No. 1	<b>Draft Note for the Cabinet regarding declaration of Scheduled Area in Rajasthan under Fifth Scheduled of the Constitution.</b>

(फाईल संख्या. ST/02/2017/MTAF1/DEOTH/RU-II)

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 11023/23/2016-स्टैटस/सी. एण्ड. एल. एम. दिनांक 30.11.2017 द्वारा संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के संबंध में कैबिनेट ड्राफ्ट नोट की प्रति आयोग की टिप्पणी हेतु प्रेषित किया।

1.2 राजस्थान राज्य के संबंध में "सी.ओ. 114, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 दिनांक 12.02.1981" द्वारा राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में अनुसूचित क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए गए हैं—

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai  
अध्यक्ष/Chairperson  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi

- (1) बांसवाड़ा जिला,
- (2) डूंगरपुर जिला,
- (3) उदयपुर जिले में निम्नलिखित—
  - (क) फलासिया, खेरवाड़ा, कोटड़ा, सराड़ा, सलुम्बर और लसाड़िया की तहसीलें,
  - (ख) गिरवा तहसील के 81 गांव,
- (4) चित्तौड़गढ़ जिले में प्रतापगढ़ तहसील,
- (5) सिरौही जिले में आबू रोड तहसील का आबू रोड ब्लॉक।

1.3 राजस्थान सरकार ने 2011 की जनगणना तथा राज्य में नये जिलों के पुनर्गठन/सृजन के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए निवेदन किया है। प्रस्ताव को राजस्थान मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त है। वर्तमान प्रस्ताव जिलों के पुनर्गठन तथा 2011 की जनगणना के अनुसार विचारण करने के बाद राजस्थान में नये सिरे से अर्थात् विद्यमान अधिसूचना के अधिक्रमण में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने में है। राजस्थान राज्य में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर (आंशिक रूप से), राजसमन्द (आंशिक रूप से), चित्तौड़गढ़ (आंशिक रूप से), पाली (आंशिक रूप से) और सिरौही (आंशिक रूप से) जिलों में अनुसूचित क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जाने हैं।

1.4 राजस्थान सरकार के प्रस्ताव में राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए तीन पूर्ण जिले, नौ पूर्ण तहसीलें, एक पूर्ण ब्लॉक, अडतालीस पूर्ण ग्राम पंचायतें और दो अलग-अलग ग्राम पंचायतों के दो गांव शामिल हैं। राजस्थान सरकार ने दो अकेले गांवों का प्रस्ताव निकटता के खातिर किया है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए उल्लिखित मापदण्डों के दृष्टिकोण से, विशेषतया, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बाहुल्यता और क्षेत्र की निकटता/सघनता के दृष्टिकोण से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा यह पाया गया है कि : i) दो अकेले गांवों को व्यवहार्य प्रशासनिक संस्थाओं के रूप में विचार नहीं किया जा सकता और (ii) राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील की पीपला एवं उसर नामक दो ग्राम पंचायतें, अपने आप को साबित करने वाले एक गांव के रूप में नहीं विचारे जाने के परिणामस्वरूप निकटता/सघनता के मापदण्ड को पूरा नहीं करती। इस प्रकार इन दो गांवों और दो ग्राम पंचायतों को प्रस्तावित क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है। तीन पूर्ण जिलों, नौ पूर्ण तहसीलों, एक पूर्ण ब्लॉक और दो सौ सत्ताइस गांवों को कवर करने वाली छियालीस पूर्ण ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए शेष क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए मापदंड को पूरा करता है और इस प्रकार इन्हें राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

1.5 उपरोक्त संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के संबंध में कैबिनेट ड्राफ्ट नोट पर विस्तृत विवेचना के बाद आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

**(After detailed discussions the Commission agreed with the above Draft Note for the Cabinet regarding declaration of Scheduled Area in Rajasthan under Fifth Scheduled of the Constitution)**

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai  
अध्यक्ष/Chairperson  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 2	कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों को आरक्षण के आधार पर पदोन्नत परिणामी वरिष्ठता का विस्तार (राज्य के नागरिक सेवाओं में पदों के लिए) विधेयक 2017
Agenda Item No. 2	The Karnataka Extension of Consequential Seniority to Government Servants promoted on the basis of Reservation (to the posts in the civil services on the State) Bill, 2017.

(फाइल संख्या. कर्नाटक/3/2017/आरयू-IV)

गृह मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 17/72/2017-ज्यूडिशियल एण्ड पीपी दिनांक 19.12.2017 के द्वारा उक्त विधेयक जो कर्नाटक राज्य विधानसभा में 14.11.2017 को प्रस्तुत किया गया और 17.11.2017 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया तथा 23.11.2017 को कर्नाटक राज्य विधानपरिषद द्वारा पारित किया गया था, की प्रति आयोग को टिप्पणी के लिए प्रेषित किया।

2.1 इस विधेयक में यह उल्लेख किया गया है कि "कर्नाटक सरकार ने किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए और यह स्पष्ट करने के लिए कि आरक्षण आदेश में शामिल पदोन्नति में आरक्षण की नीति के अनुसरण में पदोन्नत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी सेवक वरिष्ठता के हकदार होंगे क्योंकि अन्य श्रेणियों से संबंधित सरकारी सेवकों को यह वरिष्ठता उपलब्ध है, आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी सेवकों की वरिष्ठता निर्धारण कर्नाटक (राज्य में सिविल सेवाओं के पदों के लिए) अधिनियम, 2002 (2002 का कर्नाटक अधिनियम 10) (जिसे बाद में 2002 का कर्नाटक अधिनियम 10 कहा गया है) बनाया है"।

चूंकि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 की सिविल अपील संख्या 2368 में बी.के. पवित्रा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य तथा जुड़े हुए मुद्दों के मामले में 2002 की रिट पिटीशन संख्या 61 में एम. नागराज मामले में संवैधानिक पीठ के निर्णय के अनुपात को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराई गई परिणामिक वरिष्ठता के मुद्दे का निपटान करते हुए यह आकलन किया कि अनुच्छेद 16 (4क) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए "प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता", "पिछड़ापन" और "संपूर्ण निपुणता" का निर्धारण करने के लिए उचित कवायद जरूरी है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16 (4क) के अंतर्गत इस कवायद के बिना यह "catch up" नियम है जो लागू होगा। यह आकलन करते हुए न्यायालय ने 2002 के कर्नाटक अधिनियम 2010 की धाराओं 3 और 4 के प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अधिकारातीत (अल्ट्रा वायरस) घोषित किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि वरिष्ठता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाए और इसे तीन महीनों के भीतर पूरा किया जाए और आगे की पारिणामिक कार्रवाई अगले तीन महीनों में की जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, आवश्यकता पर विचार करते हुए और 2002 की रिट पिटीशन संख्या 61 में एम.नागराज मामले में संवैधानिक पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आदेश संख्या डीपीएआर 182 एसआरआर 2011 दिनांक 20.03.2017 के द्वारा अपर मुख्य सचिव को राज्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन, राज्य सिविल सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता तथा राज्य प्रशासन में पदोन्नति में आरक्षण के प्रभाव का अध्ययन करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai  
अध्यक्ष/Chairperson  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi

अपर मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, राज्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन, राज्य सिविल सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की पुष्टि करती है और यह बताती है कि राज्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण के विस्तार द्वारा प्रशासन की समग्र निपुणता प्रभावित या बाधित नहीं होती है तथा सीमित सीमा में पदोन्नति में आरक्षण जारी रखने से प्रशासन की समग्र निपुणता पर बाधा या प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कर्नाटक सरकार ने अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा विधि विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचारों को स्वीकार किया है। रिपोर्ट के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए सरकार संतुष्ट है और पहचान करके एवं गणना करके इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि 1978 से राज्य में आरक्षण की नीति के आधार पर पदोन्नत व्यक्तियों को पारिणामिक वरिष्ठता उपलब्ध करवाने के लिए अभी भी दबावकारक कारण बने हुए हैं ताकि राज्य के सभी विभागों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

2.2 विधेयक के पैरा 3 में— आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी सेवकों की वरिष्ठता का निर्धारण वर्णित किया गया है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

किसी भी समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी भी बात के होते हुए भी आरक्षण आदेश में पदोन्नति के लिए उपलब्ध कराए गए आरक्षण की नीति के अनुसरण में पदोन्नत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सरकारी सेवक पारिणामिक वरिष्ठता के हकदार होंगे। किसी भी संवर्ग में वरिष्ठता का निर्धारण सेवा की अवधि के आधार पर होगा।

परंतु यह कि उसी समय सामान्य आदेश द्वारा एक संवर्ग में पदोन्नत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सरकारी सेवकों की ही तरह अनारक्षित श्रेणी से संबंधित कर्मचारियों की आंतरिक वरिष्ठता उनके निम्न संवर्ग में उनकी आंतरिक वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित होगी।

परंतु यह और कि जहां उनको लागू भर्ती नियमों के अनुसार एक संवर्ग में पद होंगे तो उन्हें दो या अधिक निम्न संवर्गों से भरा जाना आवश्यक है,

(I) इसे लागू भर्ती नियमों के अनुसार निम्न संवर्गों में प्रत्येक के लिए पदोन्नति (उच्चतर) संवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या की गणना करनी होगी; और

(II) उन निम्न संवर्गों में प्रत्येक के संबंध में इस प्रकार गणना की गई रिक्तियों की संख्या के लिए अलग रोस्टर लागू होगा:


परंतु यह भी कि आरक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट रोस्टर बिंदुओं की क्रम संख्याएं केवल एक समय पर पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की गणना को केवल मात्र सरल बनाने के लिए आशयित होती है और ऐसे रोस्टर बिंदुओं

का आशय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सरकारी सेवकों की तुलना में एक ही समय पर पदोन्नत अनारक्षित श्रेणी से संबंधित सरकारी सेवकों की आंतरिक वरिष्ठता निर्धारित करना नहीं होता है और ऐसी आंतरिक वरिष्ठता उस संवर्ग जिससे वे पदोन्नत हुए हैं, में उनकी आंतरिक वरिष्ठता द्वारा निर्धारित होगी जैसा कि इस अधिनियम के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची में उदाहरण दिया गया है।

2.4 संविधान के अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक के अनुसार राज्य के राज्यपाल ने इस मामले को माननीय राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा है।

2.5 उपरोक्त "कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों को आरक्षण के आधार पर पदोन्नत परिणामी वरिष्ठता का विस्तार (राज्य के नागरिक सेवाओं में पदों के लिए) विधेयक, 2017" विस्तृत विवेचना के बाद आयोग ने विधेयक का समर्थन किया।

**(After detailed discussions the Commission agreed with the above Bill "the Karnataka Extension of Consequential Seniority to Government Servants promoted on the basis of Reservation (to the posts in the civil services on the State) Bill, 2017")**

  
नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai  
अध्यक्ष/Chairperson  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi


<p>कार्य सूची मद सख्या. 3  Agenda Item No. 3</p>	<p>बैंको तथा अन्य संगठनो जैसे इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटर, इण्डिया हैबिटाट सेंटर, आई.सी.ई.आर, आर.आई.एस आदि द्वारा आयोजित आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न अनुसंधान और चर्चा के कार्यक्रमो में-अनुसूचित जनजातियो से सम्बन्धित समस्याओं और मुद्दो के बारे में चर्चा के लिए कम से कम एक दिन के समतुल्य सत्र रखे जाने के लिए प्रस्ताव.</p> <p>Various programmes and research and deliberations on economic issues-organized by banks and other organizations such as India International Centre, India Habitat Centre, ICER, RIS etc-proposal to keep at-least one day equivalent of session reserved for discussion about the problems and issues pertaining to Scheduled Tribes.</p>
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

यह देखा गया है कि बैंके तथा संस्थाए जैसे इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटर, इण्डिया हैबिटाट सेंटर, आई.सी.ई.आर, आर.आई.एस आदि द्वारा आयोजित आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न अनुसंधान और चर्चा के कार्यक्रमो में-अनुसूचित जनजातियो से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता है लेकिन अनुसूचित जनजातिया, जिनकी जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग दस प्रतिशत है के विषय में व्यवहारिक रूप से कोई अनुसंधान / चर्चा नहीं होती है।

3.2 तदनुसार, यह प्रस्ताव किया गया कि अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित समस्याओं और मुद्दों के बारे में चर्चा के लिए कम से कम एक दिन के समुतल्य सत्र रखने के लिए देश के उपरोक्त निकायों को सुझाव दे सकते है।

3.3 उपरोक्त संगठनों द्वारा आयोजित चर्चा/सेमिनार/संगोष्ठी मे अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित समस्याओं और मुद्दों के बारे में चर्चा के लिए कम से कम एक दिन के समुतल्य सत्र रखने हेतु सुझाव देने के प्रस्ताव का, आयोग ने समर्थन किया।

**(Commission support the proposal for suggesting to the above organization to keep one day-equivalent of discussion/seminar/symposia to discuss and deliberate the welfare and other issues connected with Scheduled Tribes).**

  
 नन्द कुमार साव/Nand Kumar Sai  
 अध्यक्ष/Chairperson  
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
 National Commission for Scheduled Tribes  
 भारत सरकार/Govt. of India  
 नई दिल्ली/New Delhi

## ADDITIONAL AGENDA ITEMS

अतिरिक्त कार्य सूची मद संख्या

कार्य सूची मद संख्या. 1	Revision of proforma for Sitting Notice.
Agenda Item No. 1	सिटिंग नोटिस के प्रपत्र में संशोधन

(File No. 2/12/2017-Coord)


एनसीएसटी में सिटिंग नोटिस के प्रोफार्मा के संशोधन के मुद्दे पर आयोग के सभी अनुसंधान एकको के साथ चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के बाद यह प्रस्तावित किया गया कि सिटिंग नोटिस के लिए दो प्रकार का प्रोफार्मा प्रयोग में लाये जा सकते हैं। तदनुसार, दो मसौदा प्रारूप तैयार किए गए। डी.एफ.ए-1 भारत सरकार के सचिवों को तथा राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों तथा डी.एफ.ए-2 पी.एस.यू. शैक्षिक संस्थानों और राज्य सरकारों के अधिकारियों (सचिवों/एच.ओ.डी/डी.एल.ओ) के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

1.2 यह उल्लेख किया जाता है कि आयोग का काम एन.सी.एस.टी की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार होता है। वर्तमान में सिटिंग नोटिस के लिए कोई निर्धारित प्रोफार्मा नहीं है। अनुच्छेद 338 क (4) के अनुसार आयोग को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है।

1.3 तदनुसार, डी.एफ.ए-1 तथा 2 आयोग की मंजूरी के लिए रखे गए।

1.4 आयोग ने सिटिंग नोटिस के लिए डी.एफ.ए-1 तथा 2 पर अपनी सहमति प्रदान की।

**(Commission agreed to the proforma at DFA-1 & 2 for sitting notice).**

  
नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai  
अध्यक्ष/Chairperson  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi




कार्य सूची मद सख्या. 2	आंध्र प्रदेश में एसटी की सूची में वाल्मीकी/बॉया समुदाय को शामिल करने के लिए 2.12.2017 को आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के खिलाफ विरोध-महासचिव, ऑल इंडिया सेंट्रल/पीएसयू और राज्य सरकार के एसटी कर्मचारी कल्याण संघ, हैदराबाद का दिनांक 15.12.2017 का प्रतिवेदन।
Agenda Item No. 2	Protest against the resolution passed by Andhra Pradesh State Assembly on 2.12.2017 for inclusion of VALMIKI/BOYA community in list of ST in Andhra Pradesh – Representation dated 15.12.2017 from General Secretary, All India Central/PSUs & State Government ST Employees Welfare Association, Hyderabad.

उपरोक्त अभ्यावेदन में उठाए गए मामलों के सम्बन्ध में, यह कहा गया है कि आयोग की हैडबुक 2016 में "जॉच के लिए पद्धति" के पैराग्राफ 8.2 (ज) जो निम्नवत है अनुच्छेद 342 के अंतर्गत एक समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में समावेशन या अपवर्जन करने के मामले में आयोग की कोई सीधी भूमिका नहीं है।

"सरकार ने अनुसूचित जनजाति की सूची में अन्य संशोधन तथा समावेशन करने और अपवर्जन करने के लिए दावों पर निर्णय करने के तौर-तरीकों को जून 1999 में अनुमोदित किया, तथा 25/6/2002 को संशोधित किया था। इन तौर-तरीकों के अनुसार, अनुसूचित जनजाति की सूची में एक समुदाय को समावेश करने/अपवर्जन करने के लिए प्रस्तावों या अभ्यावेदनों पर आयोग की कोई भूमिका नहीं है। प्रस्ताव, जनजातीय कार्य मंत्रालय में प्राप्त किया जाता है और भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा सहमति दी जाती है, केवल टिप्पणी के लिए आयोग में प्राप्त होता है। विस्तृत जांच के बाद आरजीआई की सहमति प्रदान किए गए प्रस्ताव पर, आयोग के विचार/टिप्पणिया आवश्यक कार्यवाई के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजे जाते हैं। इस प्रकार, इस संबंध में प्रस्ताव/अभ्यावेदन आयोग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है"।

2.2 उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अभ्यावेदन को जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा जनजातीय विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार को भेजने की सलाह दी।

(keeping in view of the above facts, the Commission advised to refer the matter to the Ministry of Tribal Affairs and the Tribal Development Department, Government of Andhra Pradesh).

  
 नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai  
 अध्यक्ष/Chairperson  
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
 National Commission for Scheduled Tribes  
 भारत सरकार/Govt. of India  
 नई दिल्ली/New Delhi


कार्य सूची मद संख्या. 3	सभी अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, जो 45 दिन से अधिक हो।
Agenda Item No. 3	Reservation for Scheduled Tribes in all temporary appointments which are more than 45 days.

इस संदर्भ में, गृह मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/4/67 (II) स्थापना (एस.सी.टी) दिनांक 24.9.1968 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए थे (प्रति संलग्न)। इस कार्यालय ज्ञापन का वर्णन डी.ओ.पी.टी के आरक्षण के ब्रोशर में किया गया है।

3.2 कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.9.1968 के निर्देश को डी.ओ.पी.टी द्वारा दोहराए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह पुराना है। आयोग के विचारार्थ प्रस्ताव रखा गया।

3.3 उपरोक्त प्रस्ताव पर आयोग ने अपनी सहमति प्रदान की तथा डी.ओ.पी.टी को सूचित करने के लिए सलाह दी, कि वे तदनुसार, निर्देश जारी करें कि ऐसे सभी अस्थायी नियुक्तियां जो 45 दिन से अधिक हो में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का विधिवत प्रावधान हो।

(Commission supports the proposal and advised to bring to the notice of DOPT to issue instructions, accordingly, that all temporary appointments of more than 45 days should have provisions for reservation of Scheduled Tribes).

  
 नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai  
 अध्यक्ष/Chairperson  
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
 National Commission for Scheduled Tribes  
 भारत सरकार/Govt. of India  
 नई दिल्ली/New Delhi

कार्य सूची मद संख्या. 4	एससी/एसटी और ओबीसी कर्मचारी संघों के कार्यालय पदाधिकारियों का स्थानान्तरण।
Agenda Item No. 4	Transfer of Office-bearers of SC/ST and OBC Employees Associations.

इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय ने सर्कुलर नंबर 97-E (SCT)/1/22/12 दिनांक 5.3.1999 द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि एसटी कर्मचारी जो रेलवे कर्मचारी संघों के कार्यालय पदाधिकारी हैं का स्थानान्तरण करने से पूर्व, सम्पर्क अधिकारी (Liasion Offiicer) का परामर्श लेना है (प्रति संलग्न)।

4.2 इस प्रकार के निर्देश सभी पी.एस.यू./पी.एस.ई द्वारा जारी किए जा सकते हैं, जहां अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के संरक्षण के लिए एसटी कर्मचारी कल्याण संगठन मौजूद है। आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया गया।

4.3 उपरोक्त प्रस्ताव पर आयोग ने अपनी सहमति प्रदान की तथा डी.ओ.पी.टी के सज्ञान में लाने की सलाह दी, कि वे इसके अनुसरण में सभी पी.एस.यू./मंत्रालय/संस्थाओं को निर्देश जारी करें।

**(Commission supports the porposals and advised to bring to the notice of DOPT to issue instructions accordingly, to all PSUs/Ministries/Organizations in this regard.**



नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai  
अध्यक्ष/Chairperson  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi

कार्य सूची मद सख्या. 5	एन.सी.एस.टी की शक्तियों एवं गतिविधियों के बारे में प्रचार प्रसार
Agenda Item No. 5	Publicity of the powers and activities of the NCST

बैठक के दौरान माननीय उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों ने बताया कि राज्यों के प्रवास के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलने से मालुम हुआ कि आयोग के बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं है। अतः एन.सी.एस.टी की शक्तियां एवं गतिविधियों के बारे में प्रचार प्रसार करने हेतु सुझाव दिया।

5.2 एन.सी.एस.टी की शक्तियां एवं गतिविधियों के बारे में आम लोगों तक जानकारी पहुंचे, इसके लिए आयोग ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के जनजाति विकास विभाग के सचिवों के संज्ञान में लाने का सुझाव दिया।

**(To reach the public regarding powers and activities of NCST, Commission suggested that this may brought to the notice of Secretaries of Tribal Development Departments of States/UTs).**

(नन्द कुमार साय)  
अध्यक्ष,  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,  
भारत सरकार  
नई दिल्ली

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai  
अध्यक्ष/Chairperson  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
GOVERNMENT OF INDIA

**NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES**  
**(A Constitutional Body set up under Art. 338A of the Constitution of India)**

6<sup>th</sup> Floor, B-Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003

Case File No: .....

Date: .....

To,

- (i) The Secretary to Government of India
- (ii) Chief Secretary of State

Subject: .....

Reference: .....

Sir,

Whereas the National Commission for Scheduled Tribes has decided to investigate the aforementioned matter in pursuance of the Constitutional mandate and as per the powers conferred upon it under Article 338A of the Constitution of India (copy of the press report/petition/representation enclosed).

2. Shri/Smt....., Hon'ble Chairperson/Vice-Chairperson/Member National Commission for Scheduled Tribes has fixed a Sitting in the Commission at New Delhi on ..... at ..... for investigation/inquiry/ action to be taken in the matter.

3. Accordingly, you are requested to attend the sitting or depute an officer (not below the rank of Joint Secretary to the Government of India) who is duly authorized to take decision on your behalf in the matter along with full facts and all relevant original records/documents pertaining to the case on the above scheduled date/time of sitting. The Petitioner may also be advised to be present in the Sitting.

4. It is also requested to submit a written statement on behalf of your Ministry/Department/State on the points raised in the press report/petition/representation.

Yours Faithfully,

(Name & Signature)

Director/Dy. Secretary/Under Secretary/Dy. Director/Assistant Director/Research Officer

Copy to:

- (i) Petitioner
- (ii) PS to Hon'ble Chairperson/V.C/Members
- (iii) PPS to Secretary/PA to JS
- (iv) All Units at Hqrs
- (v) Regional Offices
- (vi) NIC NCST



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(A Constitutional Body set up under Art. 338A of the Constitution of India)

6<sup>th</sup> Floor, B-Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003

Case File No:

Date:

**SITTING NOTICE**

Subject: .....

Reference:.....

Whereas the National Commission for Scheduled Tribes, as per the Constitutional mandate and as per powers conferred upon it under Article 338A of the Constitution of India has decided to investigate in to the aforementioned matter. (copy of the press report/petition/representation enclosed).

2. Shri/Smt....., Hon'ble Chairperson/Vice-Chairperson/Member National Commission for Scheduled Tribes has fixed a Sitting in the Commission at New Delhi on ..... at ..... for investigation/inquiry/ action to be taken in the matter.

3. Accordingly, you are requested to appear in person for examination before the Hon'ble Chairperson/Vice-Chairperson/Member on the above scheduled date and time along with full facts and all relevant original records/documents pertaining to the case. The Petitioner may also be advised to be present in the Sitting.

4. Please take notice that in case you fail to attend the Sitting, the Commission is at liberty to exercise the powers of Civil Court under clause (8) of article 338A of the Constitution of India for enforcing your attendance before the Commission.

(Name & Signature)

Director/Dy. Secretary/Under Secretary/Dy. Director/Assistant Director/Research Officer

To,

-----  
-----  
-----

Copy to:

- (i) Petitioner
- (ii) PS to Hon'ble Chairperson/V.C/Members
- (iii) PPS to Secretary/PA to JS
- (iv) All Units at Hqrs
- (v) Regional Offices
- (vi) NIC NCST





भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन स्थापित एक संवैधानिक आयोग)

छठी मंजिल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

फाइल सं० . . . . .

दिनांक:.....

सेवा में,

- (i) सचिव, भारत सरकार
- (ii) राज्य के मुख्य सचिव

विषय: .....

संदर्भ: .....

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (प्रेस रिपोर्ट/याचिका/अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)

2. श्री/श्रीमती .....माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक ..... को .....बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ सिटिंग (बैठक) में उपस्थित हों या एक अधिकारी (जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो) को प्रतिनियुक्त करें जो इस प्रकरण में आपकी ओर से निर्णय लेने के लिए सम्यक रूप से अधिकृत हो। याचिकाकर्ता को भी सलाह दी जाती है कि वह भी सिटिंग (बैठक) में उपस्थित रहें।

4. आपसे यह भी अनुरोध है कि आपके मंत्रालय/विभाग/राज्य की ओर से प्रेस रिपोर्ट/याचिका/अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं पर लिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जाए।

भवदीय,

(नाम एवं हस्ताक्षर)

निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/उप निदेशक/सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि:

- (i) याचिकाकर्ता
- (ii) माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के निजी सचिव।
- (iii) सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव के वैयक्तिक सहायक।
- (iv) आयोग मुख्यालय के सभी एकक
- (v) क्षेत्रीय कार्यालय
- (vi) एनआईसी, एनसीएसटी



DFA-4

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन स्थापित एक संवैधानिक आयोग)  
छठी मंजिल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

फाइल सं० .....

दिनांक:.....

सिटिंग नोटिस

विषय: .....

संदर्भ: .....

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (प्रेस रिपोर्ट/याचिका/अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)

2. श्री/श्रीमती .....माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक ..... को .....बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(नाम एवं हस्ताक्षर)

निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/उप निदेशक/सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी

सेवा में,

.....  
.....  
.....

Ministry of Home Affairs O.M. No.27/4/67(II)-Estt.(SCT),  
dated the 24<sup>th</sup> September, 1968, to all Ministries/Departments, etc.

*Subject* :—Recommendation No. 18 of the Working Group to study the progress of measures for land allotment to Scheduled Castes and their representation in services—Reservation in temporary appointments.

The Working Group under the Chairmanship of Shri M. R. Yardi, Additional Secretary, Ministry of Home Affairs to study the progress of measures for land allotment to Scheduled Castes and their representation in services has *inter-alia* made the following recommendation :—

Recommendation No. 18

"Rules of reservations should also be extended to purely temporary posts. This would give an opportunity to Scheduled Castes applicants appointed against short term vacancies to gain experience which will facilitate their absorption later in regular vacancies."

2. According to the existing orders, reservations are made for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all temporary appointments except those which are to last for less than 3 months. The recommendation of the Working Group has been considered and it has been decided that the aforesaid reservation orders should in future apply to all temporary appointments which are to last for 45 days or more. Accordingly, with effect from the date of issue of this O.M., reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be made in all temporary appointments except appointments which are to last for less than 45 days.

3. Ministry of Finance etc. are requested to bring these instructions to the notice of all authorities under them.

4. This issues with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India in so far as persons serving under him are concerned.

Government of India  
Ministry of Railways  
(Railway Board)

R.B.E. No. 29 '99

New Delhi dated 05-03-1999

No. 97-E(SCT)/22/12

The General Manager,  
All Zonal Railways/Production Units  
The Chief Administrative Officer, DCW, Patiala  
The Director General, RDSO, Lucknow  
The Officers on Special Duty: East Coast Railway, Bhubaneswar/ North Central  
Rly., Allahabad/ East Central Rly., Hazipur/ North Western Rly., Jaipur/South  
Western Rly. Bangalore/ West Central Rly. Jabalpur/ New Railway Zone, R.E.  
Office Complex, Bilaspur.

Sub: Transfer of office-bearers of SC/ST and OBC Railway  
Employees Associations.  
\*\*\*\*\*

As per Railway Board's letter No. 78-E(SCT)/15/25 dated 6-7-78, the  
SCs/STs should, as far as practicable, be confined to their native districts.  
Further, it was desired vide Board's letter No. 89-E(SCT)/29/5 dated 8-11-89  
that, in the matter of postings/placements of officers/staff, no discrimination  
should be shown against those belonging to SC/ST and it should be ensured that  
incidents of harassment of SC/ST officers and discriminatory treatment against  
them do not occur.


It has been brought to the notice of Minister for Railways that office-  
bearers of SC/ST and OBC Railway Employees Associations are sometimes being  
subjected to transfers without valid grounds, which adversely affects smooth  
functioning of the Associations.

It is herewith advised that transfer of elected office bearers of SC/ST  
and OBC Railway Employees Associations in the same grade may not generally  
be resorted to in ordinary situations.

However, whenever such transfers are considered essential, the controlling  
authority may satisfy himself that the same is appropriately warranted according  
to the administrative needs. In such cases, the concerned Liaison Officer for  
SCs/STs/OBCs may be apprised of the circumstances, under which such transfers  
have been ordered. This will enable the Liaison Officer to explain the  
background of a transfer to the office-bearers of the Association, if any  
representation against transfer of office-bearer of SC/ST and OBC Associations is  
received.

This issues with the approval of Board.

Please acknowledge the receipt.

  
(Ram Prakash)  
Asst. Director EsO (Gen.)

3 3 99